# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के पत्रांकः–प. 12(1)शिक्षा–2/अनु.नियु.प्रयो.सहा./2016 दिनांक 27.03.2017 एवं 03.10.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के कुल 04 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के संमुख अंकित जिले में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित करेंगेः–

1 राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की जन्मतिथि, शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों /प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेंगे।

2 मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो कि पूर्णतः या भागतः केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित के नियुक्ति के समय पर) नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हो एवं न ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है। इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम–5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें।(मृतक की विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करने पर यह नियम लागू नहीं होगा।)

3 मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

4 आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र(प्रारूप संलग्न)।

5 आवेदनकर्ता यदि विवाहित है तो आवेदक एवं पति/पत्नी (दोनों से) से बिन्दू संख्या–3 के अनुसार नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र।

6 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

7 दत्तक पुत्र–पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।

8 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे(प्रारूप संलग्न)।

9 संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोबेशनर ट्रेनी(परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 18500/–प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः–एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार देय होगा।

14 वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः–एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।

15 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम– 1971 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए।

16 **संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि में सहवन से कोई त्रूटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरूस्त करें।**

17 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।

18 आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र।

19 आवेदक द्वारा धुम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र अन्य घोषणाओं के साथ।

20 आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।

21 राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

22 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5(51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.16 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

23 आवेदक की सेवा–पुस्तिका में लाल स्याही से यह अंकित किया जावें कि श्री/सुश्री/श्रीमती–––– को इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों के भर्ती नियम–1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।

चूंकि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक है, अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन 15 दिवस के भीतर जारी कर प्रति निदेशालय को एवं संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

**संलग्नः–मूल आवेदन पत्र मय सूची**

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/एफ–I/12247/अनु.नियु./प्र.शा.स/ग्रेड–III/2017 दिनांक 12/02/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान–जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा––––––––––को प्रेषित कर लेख है कि प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तत्काल अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा–––––––––––––को संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा –––––––––से प्राप्त कर **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर सीधी भर्ती वर्ष 2016 एवं 2018 हेतु प्रेषित अर्थना में जिलेवार विज्ञापित पदों को ध्यान में रखते हुए** नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
4. श्री–––––––––––––––पदनाम––––––––कार्यालय हाजा को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा ––––––––––कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु आवंटित जिले की सूची दिनांकः– 12.02.2019

| क्र.सं. | मृतक का नाम मय पदनाम व कार्यरत स्थान (रामावि / राउमावि) | कार्मिक की मृत्यु तिथि | आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि | मृतक से संबंध | आवेदन तिथि तथा आवेदित पद | नियुक्ति हेतु आवंटित जिला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | स्व.राजेश कुमार जोशी अध्यापक लेवल–I राबाउमावि लक्ष्मीघाटी, बीकानेर | 11/12/2018 | ईशान जोशी 12वीं विज्ञान 02.10.1999 | पुत्र | 08-01-19 Lab. Ass. III | बीकानेर |
| 2 | स्व.धर्मपाल सिंह व्याख्याता राउमावि बलौदा–झुंझनु | 8/11/2018 | सुरेन्द्र सिंह बीएससी जन्मतिथि 24.04.1989 | पुत्र | 21-12-18 Lab. Ass. III | झुंझुंनू |
| 3 | स्व.हुकमाराम धायल अध्यापक राउप्रावि लूणोदा, नागोर | 9/5/2016 | प्रशान्त धायल बी.एस.सी. जन्मतिथि 02.10.1989 | पुत्र | 14-06-2016 Lab. Ass. III | नागौर |
| 4 | स्व. सुमन यादव वरिष्ठ अ. राउमावि डीग, भरतपुर | 2/8/2018 | राज सिंह यादव एम.एस.सी जन्मतिथि 19.04.99 | पुत्र | 01-09-2018 Lab. Ass. III | भरतपुर |